झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 21 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
18/07/22.

अपीलकर्त्ता 1. संगीता देवी एवं अन्य (कुल..
2. उपेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य
3. संजु देवी एवं अन्य,
ग्राम– करकट्टा एवं जमडीहा, पं० करकट्टा, ऊँटारी प्रखण्ड, पलामू।

बनाम

प्रतिवादी 1. जिला आपूर्ति पदा० पलामू।
2. प्रखण्ड आपूर्ति पदा० ऊँटारी रोड।
3. PDS विक्रेता [illegible] SHG, [illegible] SHG, गंगा मिलन [illegible] SHG

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	अपीलकर्ता श्रीमती संगीता देवी एवं अन्य, ग्राम–जमडीहा / अपीलकर्ता श्री उपेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य ग्राम–करकट्टा / अपीलकर्ता श्रीमती संजु देवी व अन्य, ग्राम–करकट्टा, पंचायत–करकट्टा, पलामू का अपील अभ्यावेदन आयोग को दिनांक–04.02.2022 को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा राशन नहीं मिलने, कम राशन मिलने संबंधी शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के समक्ष करने के बाद भी कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप आयोग के समक्ष अपील दर्ज किया गया है। प्राप्त अपील अभ्यावेदन को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–08.04.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई में आयोग के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई में Online उपस्थित होने हेतु शिकयतकर्ताओं एवं जन वितरण प्रणाली वितरकों को भी सूचित कर दिया जाय। Rajani 04/03/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–08.04.2022 को वाद संख्या–21/2022 सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती संजू देवी एवं श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं अन्य कार्डधारी ग्राम–करकट्टा, पंचायत–करकट्टा, जिला–पलामू ऑनलाइन व्हाट्सएप विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री विवेक नन्द पटेल, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, उटाँरी, उपस्थित रहें, एवं जनवितरण प्रणाली विक्रेता ज्ञान्ती देवी एवं सुषमा देवी, आयोग न्यायालय में उपस्थित हुई। • शिकायतकर्त्ता श्रीमती संजू देवी द्वारा बताया गया कि उनको जून–2021 से अगस्त–2021 तक का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल नहीं मिला है एवं रजिस्टर पर अगुठे का निशान ले लिया गया है। और प्रति यूनिट 500gm राशन कम मिलता है एवं मांगने पर डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। • श्रीमती धन्वनती देवी द्वारा बताया गया कि उनको अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल नहीं मिला है उनके द्वारा यह भी बताया गया की उनके परिवार में 6 सदस्य है लेकिन 4 ही सदस्य का राशन 18 Kg ही मिलता है। और प्रति यूनिट 500gm कम दिया जाता है और 30Kg राशन कार्ड पर चढ़ाया जाता है। मांगने पर डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। • श्रीमती कवली देवी द्वारा बताया गया कि उनको अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल नहीं मिला है उनके ससुर का मृत्यु 2017 में ही हो गया है उनके नाम पर भी राशन का उठाव हो रहा है उनके राशन कार्ड पर राशन का मात्रा 15 Kg चढ़ाया जाता है और 9Kg राशन दिया जाता है। प्रति यूनिट 500 gm कम राशन दिया जाता है। • श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा द्वारा बताया गया कि उनको नवम्बर माह से अबतक का राशन नहीं मिला है। डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। • पणन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन और एक CD आयोग को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उसके द्वारा गलत तरीके से राशन लिये जाने का रिकॉर्ड है। और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा भूतपूर्व मुखिया रहें है एवं	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

उनका दो मंजीला पक्का मकान है एवं उनके पिता जी सरकारी पेंशनधारी

है। श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा जान–बुझ कर PDS विक्रेताओं को परेशान करते है। श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं अन्य कार्डधारी ने मुआवजा के लिए अबतक राशन का उठाव नहीं किया है।

जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष को सुनकर आयोग के द्वारा पारित आदेश :–

1. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती संजू देवी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल जून 2021 से अगस्त 2021 तक का दिलाया जाय। रजिस्टर पर गलत तरीके से अंगूठे का निशान लेना सत्यापित नहीं हो पाया।
2. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती धन्वनती देवी का अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल दिलाया जाय एवं उनके परिवार में 6 सदस्य है तो 4 ही सदस्य का राशन क्यों दिया जाता है? एवं जिनका आधार सिडिंग नहीं उनका आधार सिडिंग करा के चेक किया जाय अगर सदस्य नहीं है तो उनके राशन कार्ड में दो सदस्यों का नाम जोड़ दिया जाय।
3. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती कवली देवी को अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल दिलाया जाय एवं उनके राशन कार्ड से उनके ससुर का नाम हटा दिया जाय, एवं जब उन्होंने मृत ससुर की जानकारी दी है उसके पहले का वसूली कवली देवी से एवं बाद में कार्रवाई नहीं होने की वजह से डीलर पर वसूली हेतु कार्रवाई करेगे।
4. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा को अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का चावल दिलाया जाय। उपेन्द्र कुमार कुशवाहा का जाँच प्रतिवेदन सामाजिक–आर्थिक रूप से आयोग कार्यालय को समर्पित की जाय। अगर योग्यता रखते है तो कार्ड दिया जाय, अन्यथा कार्ड रद्द कर दिया जाय।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	5. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके क्षेत्र में स्थित जनवितरण प्रणाली विक्रेता केन्द्र की जाँच करके योग्य एवं आयोग्य लाभुकों से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कारया जाय। ताकि अयोग्य लाभुकों पर कार्रवाई की जा सके, एवं सारे आधार सिडिंग कराया जाय। जनवितरण प्रणाली विक्रेता को चेतावनी के साथ आदेश दिया जाए कि वो किसी भी कार्डधारी को राशन कम ना दे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.04.2022 को निर्धारित की जाती है। 8.4.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (डा0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx25

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.04.2022 को वाद संख्या–21/2022 सुनवाई की गई। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री विवेक नन्द पटेल, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, उटाँरी रोड़, उपस्थित रहे। • पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती संजू देवी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल नही लिया है। उनको मुआवजा की राशि चाहिये। • पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती धनवन्ती देवी ने अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल उनके द्वारा ले ली गया है। उनके राशन कार्ड में 6 सदस्य है, लेकिन 4 ही सदस्य का राशन मिलता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया की श्रीमती धनवन्ती देवी के दो बच्चे हैं। पणन पदाधिकारी द्वारा उनके दोनों बच्चों का आधार कार्ड मांगा गया लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पायी। • पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रीमती कवली देवी को अगस्त 2021 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल दे दिया गया है। • पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री उपेन्द्र कुमार कुशवाहा ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल नहीं लिया है। उनको मुआवजा की राशि चाहिये। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा का पक्का मकान है एवं उनके पिता जी सरकारी पेन्शनधारी है। **जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष को सुनकर आयोग के द्वारा पारित आदेश :–** 1. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती संजू देवी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल उनको बुलाकर दे दिया जाय। 2. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती धनवन्ती देवी के राशन कार्ड में उनके दोनों बच्चों का आधार सिडिंग करा कर उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाय। 3. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती कवली देवी के राशन कार्ड से उनके मृत ससुर का नाम हटा दिया जाय। 4. पणन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा को बुलाकर उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल दे दिया जाय और उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाय।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 6. पणन पदाधिकारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता केन्द्र का जाँच किया जा रहा है उन्होने 6 जनवितरण प्रणाली विक्रेता केन्द्र का प्रतिवेदन आयोग मे समर्पित किया गया है। 34 बाकी जनवितरण प्रणाली विक्रेता केन्द्र का जाँच प्रतिवेदन 10 जून तक आयोग को उपलब्ध करा दिया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को नोटिस निर्गत किया जाय। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (डा0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx27 पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002 email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। आयोग द्वारा सुनवाई में अपीलकर्ता श्री उपेन्द्र कुशवाहा एवं द्वितीय पक्ष की ओर से उपस्थित पणन पदाधिकारी का पक्ष सुना गया। अभिलेख में संधारित दस्तावेजों एवं सीडी का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों, सीडी एवं पूर्व में इस मामले में प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के श्री उपेन्द्र कुशवाहा के विरूद्ध गंभीर आरोप हैं। ऐसी स्थिति में न्याय संगत आदेश पारित करने से पूर्व वास्तविक वस्तु–स्थिति की जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है। अतः निर्देश दिया जाता है कि इस वाद से सम्बन्धित सभी दस्तावेज की प्रति उपायुक्त, पलामू को किसी सक्षम पदाधिकारी से जाँच हेतु भेजा जाए। उपायुक्त, पलामू को निदेशित किया जाए कि 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ। दिनांक–15.07.2022 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची	

D:\Vinod Sir\Commission's order.docx1

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

18.07.2022

अभिलेख उपस्थापित। वाद सं0–21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई। उभय पक्ष उपस्थित।

वाद सं0–21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 एक ही डीलर से सम्बन्धित होने एवं शिकायत का प्रकार भी एक ही होने के कारण, तीनों वाद की सुनवाई एक साथ की गई। तीनों अभिलेख/वाद में इसी आदेश को अंतिम आदेश माना जाएगा।

परिवादी की ओर से मात्र श्री उपेन्द्र कुशवाहा उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू, सम्बन्धित पणन पदाधिकारी एवं जनवितरण प्रणाली वितरक उपस्थित हैं।

परिवादी का कहना है कि डीलर द्वारा कम राशन दिया जाता है, इसलिए वे राशन का उठाव नहीं करते हैं। उनका यह भी कहना है कि परिवाद दायर करने के बाद उनका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा भूतपूर्व मुखिया हैं एवं जाँच में पाया गया कि ये राशन कार्ड के लिए अहर्त्ता नहीं रखते हैं, इसलिए इनका राशन कार्ड रद्द किया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि आयोग के गत आदेश के अनुपालन में परिवादियों को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा स्वयं भी अनाज नहीं उठाते हैं और ग्रामिणों को भी इस हेतु प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य 1.25 गुणा मुआवजा राशि प्राप्त करना एवं कराना है।

उभय पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आयोग के गत आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। जहाँ तक श्री उपेन्द कुशवाहा के राशन कार्ड रद्द किए जाने का प्रश्न है, यदि श्री कुशवाहा राशन कार्ड पाने की अहर्त्ता रखते हैं, तो इस आशय का परिवाद सक्षम प्राधिकार में दायर कर सकते हैं।

इस मामले की गहनता से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि कई–कई माह का राशन नहीं मिलने का शिकायत किया गया। यदि किसी एक माह का भी राशन नहीं मिले तो तुरंत पणन पदाधिकारी को शिकायत करना चाहिए। साथ ही **''एक राष्ट्र एक राशन कार्ड''** योजना के लाभ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कई–कई महिनों का राशन नहीं मिलने के परिवाद के सुनवाई के दौरान इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(शबनम परवीन)
सदस्या,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx7